

**कार्यालय कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी,
जिला-मुरैना**

प्र० क्र०/35/16-17/अ-82/भू-अर्जन/उ०म०रे०/

// सूचना-पत्र //

उप मुख्य अभियंता, (निर्माण)
उत्तर मध्य रेलवे ग्वालियर म.प्र.

बनाम

कृषकगण/हितबद्ध व्यक्ति
ग्राम- टेंटेरा, तहसील-सवलगढ व जिला मुरैना

द्वारा:- तहसीलदार परगना सवलगढ

भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे इस सूचना में भू-अर्जन अधिनियम 2013 कहा गया है।) की धारा 21(1) के अन्तर्गत।

जरिये सूचना आपको सूचित किया जाता है कि ग्राम पचेर, तहसील व जिला मुरैना में स्थित निम्नानुसार उल्लेखित सर्वे क्रमांक व प्रस्तावित रकवा अनुसार अशासकीय भूमि को प्रस्तावित छोटी रेलवे लाईन से बड़ी रेलवे लाईन के निर्माण के लिए स्थाई रूप से अर्जन हेतु सरकार का आशय है अतः भू-अर्जन, अधिनियम 2013 (2013 संख्याक 30) की धारा 21(1) के अन्तर्गत आपको सूचित किया जाता है कि आपसे संबंधित सर्वे क्रमांक के संबंध में अपना हित, प्रतिकर के दावे का हक का भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 20 के तहत माप किया गया है। तदनुसार निम्न तालिका में भू-अर्जन हेतु अधिसूचित भूमि का विवरण दिया गया है, जिस हेतु प्रतिकर मय समतुल्य पुनर्वासन अनुदान, का अधिनिर्णय प्रस्तावित है जिसमें यदि कोई आपत्ति हो तो इस सूचना पत्र जारी होने की 30 दिवस की पूर्णता अर्थात् दिनांक 20.01.18 तक इस न्यायालय में स्वयं/अभिकर्ता/अभिभाषक के माध्यम से उपसंजात होकर अपना आक्षेप/दावा कथन के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का नक्शा कार्यालय तहसील सवलगढ जिला मुरैना में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। उक्त निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 20.01.18 पश्चात भूमि का कब्जा संबंधित विभाग को सौंप दिया।

क्र. सं.	राजस्व वृत्त/पटवारी हल्का/ग्राम/तहसील एवं जिले का नाम	सर्वे नंबर	भूमि का अर्जित रकवा है. मे		
			सिंचित	असिंचित	कृषि भिन्न
1	2	3	4	5	6

1	राजस्व वृत्त-01 / पटवारी हल्का- 09/ /ग्राम-पचेर/तहसील एवं जिला मुरैना	163	0.009 ✓	निरंक	निरंक
2		63/1 63/2	0.312 ✓	निरंक	निरंक
3		64	0.223 ✓	निरंक	निरंक
4		65/1 65/2	0.326 ✓	निरंक	निरंक
5		71	0.025 ✓	निरंक	निरंक
6		125/1 125/2 125/3 125/4	0.057 ✓	निरंक	निरंक
7		82	0.061 ✓	निरंक	निरंक
8		127/1 127/3	0.557 ✓	निरंक	निरंक
9		133	0.124 ✓	निरंक	निरंक
10		134	0.009 ✓	निरंक	निरंक
11		135	0.319 ✓	निरंक	निरंक
	कुल	11	2.022 ✓		

उपरोक्त तांलिका मे उल्लेखित भूमि की भू-अर्जन मुआवजा राशि का प्रस्तावित अधिनिर्णय, वास्तविक अधिनिर्णय दिनांक से प्रभावशील भूमि के बाजार मूल्य मार्ग दर्शक सिद्धांत के अनुसार की जावेगी अधिनिर्णय आदेश की प्रतिलिपि संबधित कृषकगण/हितबद्ध व्यक्ति को प्रथक से उपलब्ध कराई जावेगी।

इस न्यायालय से पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से आज दिनांक 21.12.17 को जारी किया गया।

